रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 1974/ज्येष्ठ 30, 1896

No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 1974/JYAISTHA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June 1974

S.O. 370(E).—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) read with Sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) S.O. No. 351(E) dated the 23rd June, 1973, the Central Government is pleased to retain, with effect from the 1st July, 1974, the tariff value in respect of Cashew Kernel at Rs. 1000 per quintal for the year 1974-75.

[No. F.4-2/74-Econ. Py.]

T. P. SINGH, Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1974

का० आ० 370. (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्पाद उपकर अधिनियम 1966 (1966 का 15) की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 351(ङ), तारीख 23 जून, 1973 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार 1 जुलाई, 1974 से वर्ष 1974–75 के लिए काजू गिरी की बाबत टैरिफ मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विन्टल प्रतिधारित करती है ।

[सं० फा० 4–2/74–अर्थ नीति]

त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974